कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 279/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 17.07.2026

थाना – कोतवाली, जनपद आजमगढ़

- **महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग एवं चोरी करने वाले गिरोह के गैंग लीडर को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया**
- **संगठित अपराध पर कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त दबोचा गया**

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 08.11.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्र में बाजार से घर लौट रही एक महिला के गले से दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा सोने की चेन छीनकर फरार हो जाने की घटना के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 583/2025, धारा 304(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त विशाल उर्फ बाबू बीडी एवं पिन्टू हरिजन उर्फ अशोक के नाम प्रकाश में आए। जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों अभियुक्त एक संगठित गिरोह के रूप में महिलाओं के गले से चेन स्नेचिंग, चोरी एवं अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों को अंजाम देकर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे। गिरोह की लगातार आपराधिक गतिविधियों से आमजन में भय एवं असुरक्षा का वातावरण व्याप्त था। गिरोह की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गैंग चार्ट तैयार कर ,श्रीमान जिलाधिकारी, आजमगढ़ को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 16.07.2026 को गैंग चार्ट अनुमोदित किए जाने के उपरांत थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 381/2026, धारा 2(ख)(1)/3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक 17.07.2026 को गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त विशाल उर्फ बाबू बीडी पुत्र भरतलाल, निवासी पुराना कांशीराम आवास, ब्लॉक-113, कमरा संख्या-06, चौकी कांशीराम आवास, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी को ठंडी सड़क बंधा रोड स्थित प्राइवेट बस स्टैंड के पास से समय 12:10 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 381/2026, धारा 2(ख)(1)/3(1), उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. विशाल उर्फ बाबू बीडी पुत्र भरतलाल, निवासी पुराना कांशीराम आवास, ब्लॉक-113, कमरा संख्या-06, चौकी कांशीराम आवास, थाना शिवपुर, जनपद वाराणसी।

आपराधिक इतिहास-

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आजमगढ़ एवं वाराणसी जनपदों में चेन स्नेचिंग, चोरी, लूट, अवैध शस्त्र रखने एवं गैंगस्टर एक्ट सहित 11 आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं।

1. मु0अ0सं0 583/25 धारा 304(2)/317(2)/317(4)/318(4)/61 बीएनएस थाना कोतवाली आजमगढ़
2 मु0अ00 612/25 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली आजमगढ़

3 मु0अ0सं0 67/22 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि थाना शिवपुर वाराणसी
4 मु0अ0सं0 69/22 धारा 379/411 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी
5 मु0अ0सं0 284/22 धारा 379/411 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी
6 मु0अ0सं0 300/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी
7 मु0अ0सं0 01/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना कैन्ट वाराणसी
8 मु0अ0सं0 794/20 धारा 3/ 25 शस्त्र अधि थाना कैन्ट वाराणसी
9 मु0अ0सं0 357/22 धारा 392/411,413/414 भादवि थाना कैन्ट वाराणसी
10 मु0अ0सं0 137/22 धारा 392/411 भादवि थाना सारनाथ वाराणसी
11 मु0अ0सं0 381/26 धारा 2(b)(1)/3(1) उ0प्र0 गैगें0अधि0 थाना कोतवाली आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
उ0नि0 सौरभ त्रिपाठी, चौकी प्रभारी रोडवेज, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
उ0नि0 राजेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
हे0का0 अभय सिंह।
रि0का0 हिमांशु मिश्रा।
रि0का0 शिवम गुप्ता।
रि0म0का0 प्रियंका सिंह।
रि0का0 आदित्य कुमार।
का0 अंशुमान सिंह, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

थाना – बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़

चोरी की घटना का सफल अनावरण, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी का टुल्लू पम्प, अवैध तमंचा, कारतूस व ऑटो रिक्शा बरामद

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10.07.2026 को थाना बिलरियागंज पर प्राप्त लिखित तहरीर में वादी प्रमोद कुमार राय पुत्र स्व0 पुरूषोत्तम राय निवासी ग्राम हारीपुर थाना विलरियागंज जनपद आजमगढ द्वारा अवगत कराया गया कि उनके घर के बाहर हैंडपंप के साथ लगा टुल्लू पम्प किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिलरियागंज पर मु0अ0सं0 191/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी का विवरण-

दिनांक 16.07.2026 को निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा मय हमराह द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अलाउद्दीनपट्टी से नसीरपुर मार्ग पर एक ऑटो रिक्शा को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान चालक कैश आलम पुत्र एकलाख, निवासी ग्राम खानकाह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर, एक जिंदा कारतूस .315 बोर तथा ऑटो रिक्शा से चोरी किया गया एक टुल्लू पम्प बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने बरामद टुल्लू पम्प को ग्राम हारीपुर से चोरी करना स्वीकार किया। अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त ऑटो रिक्शा संख्या UP 50 DT 1167 के वैध अभिलेख प्रस्तुत न करने पर उसे मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज किया गया। अभियुक्त को मु0अ0सं0 192/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट एवं मु0अ0सं0 191/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 191/2026, धारा 303(2)/317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज।
02. मु0अ0सं0 192/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना बिलरियागंज।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कैश आलम पुत्र एकलाख, निवासी ग्राम खानकाह, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी-

एक अदद चोरी का टुल्लू पम्प।

एक अदद अवैध तमंचा .315 बोर।

एक अदद जिंदा कारतूस .315 बोर।

एक अदद ऑटो रिक्शा संख्या UP 50 DT 1167 (सीज)।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

निरीक्षक अमित कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

उ0नि0 संतोष कुमार यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

हे0का0 दीपक कुमार, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

हे0का0 गांधी यादव, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

थाना – सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर ठगी के शिकार आवेदिका के ₹32,999 वापस कराए गए, समय रहते शिकायत से मिली राहत

घटना का विवरण-

एक महिला शिक्षामित्र को अज्ञात व्यक्ति द्वारा स्वयं को निर्वाचन अधिकारी बताते हुए फोन किया गया। आरोपी ने मतगणना ड्यूटी के मानदेय का भुगतान कराने का झांसा देकर विश्वास में लिया और ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर उनके डिजिटल भुगतान माध्यम से ₹32,999 की साइबर ठगी कर ली। शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी की साइबर टीम ने साइबर सेल आजमगढ़ के तकनीकी सहयोग से तत्काल आवश्यक कार्रवाई की। त्वरित प्रयासों के परिणामस्वरूप नियमानुसार कार्यवाही करते हुए ₹32,999 की पूरी धनराशि पीड़िता के बैंक खाते में वापस कराई गई।

साइबर अपराध का तरीका -

- सरकारी अधिकारी/कर्मचारी बनकर फोन करना।
- मानदेय, वेतन, सब्सिडी, रिफंड या अन्य सरकारी लाभ दिलाने का झांसा देना।
- लिंक भेजकर या ऑनलाइन प्रक्रिया के नाम पर डिजिटल भुगतान ऐप का दुरुपयोग कराना।
- जल्दबाजी एवं गोपनीयता का दबाव बनाकर पीड़ित से लेन-देन कराना।

साइबर सुरक्षा के उपाय-

- किसी भी अज्ञात फोन कॉल पर अपनी बैंकिंग या व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।
- ओटीपी, यूपीआई पिन, सीवीवी, पासवर्ड या स्क्रीन शेयरिंग ऐप का एक्सेस किसी को न दें।
- सरकारी अधिकारी बनकर धनराशि भेजने या भुगतान कराने का दावा करने वालों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें।
- किसी भी लिंक पर क्लिक करने या भुगतान करने से पहले पूरी तरह जांच-पड़ताल करें।
- किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं अथवा www.cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत करें। साथ ही निकटतम पुलिस स्टेशन/साइबर हेल्प डेस्क से तुरंत संपर्क करें।

पुलिस टीम का विवरणः-

1. म0उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
2. का0 महेश कुमार, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
3. का0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
4. का0 सोनू कुमार, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

थाना – रौनापार, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने एवं दहेज की मांग के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

थाना रौनापार पर प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर आरोप लगाया गया कि अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र हरिराम यादव, निवासी ग्राम खेतापुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र 26 वर्ष द्वारा शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया गया तथा बाद में अपने परिजनों के साथ मिलकर दहेज की मांग की गई। दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ मारपीट एवं प्रताड़ित किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रौनापार पर मु0अ0सं0 201/2026, धारा 69, 115(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 17.07.2026 को उपनिरीक्षक अनुराग कुमार पाण्डेय मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर कैची बंधा के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त बृजेश यादव पुत्र हरिराम यादव निवासी ग्राम खेतापुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़, उम्र 26 वर्ष को समय करीब 09:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अन्य अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 201/2026, धारा 69, 115(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. बृजेश यादव पुत्र हरिराम यादव, निवासी ग्राम खेतापुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़, उम्र 26 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. उ0नि0 अनुराग कुमार पाण्डेय, चौकी प्रभारी हाजीपुर, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
02. का0 सुनील कन्नौजिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।
03. रि0म0का0 सौम्या गुप्ता, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़।